Speed Post
RTI Matter

F.No.17026/78/2014-SR
Government of India
Ministry of Home Affairs
(CS Division)
*****

NDCC-II Bldg., Jai Singh Road
New Delhi, dated the 4th August , 2014

To

Shri Pawan Tiwari,
Agrawal Mandi, Tatiri,
Distt. Bagpat, Pin: 250601 (UP).

Sub.: RTI application seeking information under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 02.06.2014 (received in this Division on 16.07.2014) through PP Division of this Ministry on the subject mentioned above. The information in respect of the undersigned CPIO is as under:-

Point No.6: No proposal regarding formulation of a separate State of Western Uttar Pradesh is presently under consideration of the Central Government.

3. If you are not satisfied with the reply of the CPIO, you may prefer to file an appeal to the First Appellate Authority viz. Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary(CS), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

4. Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(Ashutosh Jain)
Director(CS-II) & CPIO)
T.No.23438147

Copy to:-

1. Section Officer, VS Section, PP Division, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Bldg. 3rd Floor, New Delhi. w.r.t their letter dated 09.07.2014.
2. Section Officer, IT Cell, MHA, North Block, New Delhi along with a copy of RTI application of the applicant.dated 02.06.2014.

K11

73

पवन तिवारी

एडवोकेट
बी0एड0,एल0एल0बी0,टी0ई0एम0
कार्यकर्ता एवं आर0टी0आई0 विशेषज्ञ
जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ
अखिल भारतवर्षीय ब्राहमण महासभा
जिला बागपत (उ0प्र0)
उपाध्यक्ष–श्री अमरनाथ सेवा समिति (रजि0)
अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत (उ0प्र0)

निवास – अग्रवाल मण्डी टटीरी
जिला बागपत (उ0प्र0)
पिन कोड– 250601
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायालय,
परिसर बागपत,
उ0प्र0–250609
मोबाईल नं0– 09058860009

पत्रांक :– 60 / 2014

दिनांक :–02.06.2014

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मंत्री मण्डल सचिव,

भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001 भारत।

विषय :– "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 6 (1) क के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं धारा 6 (3) के प्राविधानों में अर्न्तनिहित

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि आवेदक को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 सपठित धारा 3 एवं 4 के प्राविधानों के अनुसार नीचे लिखे बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध करायें। सूचना न देने या विलम्ब से देने की स्थिति में हुई अपील / परिवाद / वाद व्यय के हर्जे–खर्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही आपके विरूद्व अमल में लायी जायेगी।

सूचना शुल्क – अंकन 10 /– रू0 भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 17 एफ– 911825 साथ में सलंग्न हैं।

महत्वपूर्ण :– श्रीमान जी यदि प्रार्थी द्वारा माँगी गयी सूचनायें किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा धारित है तो कृपया प्रार्थी का यह सूचना आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) द्वितीय के परन्तुक के अनुसार सूचना आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के अन्दर सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्रेषित कर दे।

सूचना बिन्दू :–

1. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह मे कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया? सूचना प्रदान करें।

2. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान, प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किस मद से किया गया सूचना प्रदान करें।

3. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसके आदेशो पर किया गया है? सम्बन्धित आदेशो की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (ज) द्वितीय सपठित धारा 3 व 4 के अन्तर्गत प्रदान करें।

CPIO(S&C)
09/06/14

Recd ... 2014

4. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसकी सलाह, मत के आधार पर किया गया है. सूचना प्रदान करें।

5. यह कि क्या लोक सभा सदस्य तथा विधान सभा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु क्या संसद द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय, मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

6. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 को अलग राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल मे विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

7. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

8. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? सूचना प्रदान करें।

9. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल जितनी धनराशि खर्च की गयी, वह किस–किस प्रकार की गयी? सूचना प्रदान करें।

10. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च करने हेतु किस–किस गैर सरकारी संगठन को दी गयी तथा कितनी–कितनी दी गयी? सूचना प्रदान करें।

11. यह कि क्या अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

12. यह कि क्या उ0प्र0 में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

13. यह कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है? सूचना प्रदान करें।

14. यह कि क्या दिल्ली–सहारनपुर वाया शामली रेलवे लाईन को डबल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।

15. यह कि दिल्ली–शामली रेलवे मार्ग से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? सूचना प्रदान करें।

16. यह कि कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी से मेरठ–बागपत हाईवे रेलवे क्रासिंग पर ऊपरगामी सेतु बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।